

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/प्रा.आ./2020


जयपुर, दिनांक 28.03.2020

जिला कलेक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

**विषय:-** कोविड-19 के दौरान घोषित लॉक-डाउन में आवश्यक दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 के दौरान घोषित लॉक-डाउन में जिलो में पेट्रोल पम्पों का संचालन निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराया जावे। राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि जिलो में राजस्व/ पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी अपने स्तर पर पेट्रोल पम्पों को बन्द करने या परमिट लेने की व्यवस्था के आदेश दे रहे हैं, जो उचित नहीं है।

अतः आप अपने अधिनस्थ अधिकारियों को ऐसे आदेश न जारी करने के लिए पाबन्द करें।

  
28/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव